बिहार विधान परिषद्

की

(श्री जगनारायण पाठक, सदस्य विधान परिषद् के ध्यानाकर्षण दिनांक 1 दिसम्बर 1976, पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किये गये अवैध सुअर का शिकार पर गठित जांच समिति।)

प्रतिवेदन 1978

सत्यमेव जयते

अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रशाखा,
बिहार विधान परिषद् सचिवालय 1978 ई०

आमुख ।

श्री जगनारायण पाठक, स० वि० प० के ध्यानाकर्षण, दिनांक 1 दिसम्बर 1977 पलामू जिलान्तर्गत रंका प्रखंड के विकास पदाधिकारी द्वारा किये गये अवैध सूअर का शिकार पर बिहार विधान परिषद् द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन आपके सामने है।

इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में बिहार विधान परिषद् के सचिव, श्री राजेश्वर प्रसाद मंडल से जो सर्वाधिक सहायता मिली है उसके लिए समिति अनन्य रूप से आभारी है । अपनी बैठकों एवं अन्वेषणों के क्रम में परिषद् के अन्य पदाधिकारी विशेषत: श्री इन्दुभूषण सिन्हा, उप-सचिव, श्री सुशील प्रसाद सिन्हा, सहायक सचिव, श्री रामनगीना प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्री देवेन्द्र प्रसाद, सहायक के प्रति भी हमारा वही उद्‌गार है, जिन्होंने प्रतिवेदन को तैयार करने में पूरी लगन एवं अथक परिश्रम का परिचय दिया है ।

अपनी ओर से मैं समिति के अन्य माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जो समिति द्वारा प्रतिवेदन के अनुमोदन तक इस दायित्व के निर्वाहन में मेरे साथ-साथ रहे और अपने अमूल्य सुझावों से मुझे अनुप्रेरित एवं लाभान्वित करते रहे ।

पटना :

दिनांक 21 मार्च 1978।

धनंजय महतो,
अध्यक्ष,
जांच समिति ।

5 एल० सी०—1

जांच समिति के सदस्यों की सूची।

अध्यक्ष।

(1) श्री जागेश्वर मंडल, स० वि० प०।

सदस्यगण ।

(2) श्री राजकुमार महासेठ, स० वि० प०
(3) श्री जोगेन्द्र प्रसाद चौरसिया, स० वि० प० एवं
(4) श्री धनंजय महतो, स० वि० प०।

माननीय सदस्य श्री जागेश्वर मंडल को बिहार विधान सभा के सदस्य चुन लिये जाने के बाद दिनांक 13 अगस्त 1977 से समिति के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये :-

अध्यक्ष।

(1) श्री धनंजय महतो, स० वि० प०।

सदस्यगण ।

(2) श्री राजकुमार महासेठ, स० वि० प०,
(3) श्री जोगेन्द्र प्रसाद चौरसिया, स० वि० प० ,एवं
(4) श्री कृपानाथ पाठक, स० वि० प०।

सचिवालय।

(1) श्री राजेश्वर प्रसाद मंडल, सचिव, बिहार विधान परिषद् ।
(2) श्री इन्दु भूषण सिन्हा, उप-सचिव, बिहार विधान परिषद् ।
(3) श्री सुशील प्रसाद सिंह, सहायक सचिव, बिहार विधान परिषद् ।
(4) श्री रामनगीना प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद्।
(5) श्री देवेन्द्र प्रसाद, सहायक , बिहार विधान परिषद् ।

विषय सूची ।

पृष्ठ ।

समिति का प्रतिवेदन एवं निष्कर्ष 1—18

अनुबन्धन 1--श्री जगनारायण पाठक, स० वि० प० का ध्यानाकर्षण दिनांक 1ली दिसम्बर, 1976 ई० । 19

अनुबन्धन 2—ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य दिनांक 10 दिसम्बर 1976 ई० 20—24

अनुबन्धन 3—बिहार विधान परिषद् सचिवालय अधिसूचना सं० वि० 1, प, अ० प्र० 145/76 —65(1)वि०प० दिनांक 10 जनवरी, 1977 ई० । 25-26

अनुबन्धन 4--बिहार गजट, दिनांक 11 जनवरी, 1977 ई० .. 27-28

अनुबन्धन 5—दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 1977 ई० को रंका डाकबंगला में हुयी बैठक की कार्यवाही । 29—90

अनुबन्धन 6—रंका पुलिस स्टेशन (थाना) की डायरी .. 91—105

अनुबन्धन 7—प्रखंड विकास पदाधिकारी रंका द्वारा समिति को सुपूर्द किये गये कुछ आलेख्य की सच्ची प्रतिलिपि । 106—121

अनुबन्धन 8—वन प्रमंडल पदाधिकारी गढ़वा, दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 529, दिनाक 1 फरवरी 1977 । 122—145

अनुबन्धन 9—प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रंका के पत्रांक 18 दिनांक 19 फरवरी 1977 । 146—166

अनुबन्धन 10—बिहार विधान परिषद् सचिवालय अधिसूचना सं० वि०प०अ०प्र० 145/76—1370(1)वि०प० दिनांक 12 अगस्त 1977 । 167-168

अनुबन्धन 11—दिनांक 8 अक्तूबर 1977 का गढ़वा डाकबंगला में हुयी बैठक की कार्यवाही । 169—195

अनुबन्धन 12--दिनांक 9 अक्तूबर 1977 को गढ़वा डाकबंगला में हुयी बैठक की कार्यवाही । 196—213

अनुबन्धन 13—उपायुक्त पलामू से प्राप्त पत्रांक 3060, दिनांक 30 नवम्बर 1976 । 214-215

अनुबन्धन 14—उपायुक्त, पलामू से प्राप्त पत्रांक 3140 सी०, दिनांक 8 दिसम्बर 1976 ई० । 216-217

अनुबन्धन 15--वन क्षेत्र पदाधिकारी, रंका पूर्वी, दिनांक 23 नवम्बर 1976 के प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि । 218—220

अनुबन्धन 16—प्रखंड विकास पदाधिकारी रंका, द्वारा समिति को सुपुर्द किये गये कुछ आलेख्य की सच्ची प्रतिलिपि । 221—234

अनुबन्धन 17—दिनांक 13 अक्तूबर 1977 की बैठक की कार्यवाही 235